FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजाखेड़ा

सरकार बनाम सरो

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 136 LR Act नं. 26/19 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
01 8/2019	यह प्रार्थना पत्र 136 LR Act के तहत तहसीलदार राजाखेड़ा की ओर से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र मे ग्राम नागर के नक्शा अक्स मे त्रुटि को शुद्ध करने बाबत निवेदन किया है तथा प्रार्थना के निर्णय हेतु तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का नागर व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तहसीलदार राजाखेड़ा के समक्ष यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम नागर के आराजी ख० न० 980 के सभी बटा नम्बर किता 10 एक रकबे का योग 55बीघा 8बिस्वा है, जबकि नक्शा अक्स व ग्राह तरमीम शीट मे खसरा नम्बर 980 की आकृति का रकबा लगभग 26बीघा है। ऐसी स्थिति मे तरमीम किया जाना सम्भव नही है परन्तु ग्राह तरमीम शीट व नक्शा अक्स में ख० न० 980 से सटी हुई दो आकृतिया है जिनमे कोई नम्बर अंकित नही है अगर इनके बीच की लाइन को हटा दिया जावे तो रकबे की भरपाई हो सकती है। तहसीलदार राजाखेड़ा द्वारा इस रिपोर्ट पर नक्शा अक्स एव तरमीमी शीट से बिना नम्बर वाली आकृति के मध्य की लाइन को हटाने की अभिसंशा करते हुए प्रार्थना वास्ते आदेश इस न्यायालय को भिजवाया है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत रिकार्ड पर गौर किया, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस में खसरा	

आकृति और बनी हुई है। जिसमे कोई
खसरा नम्बर अंकित नहीं है। ख.न. 980
के सभी बटा नम्बरो के रकबे का योग
55 बीघा 8 बिस्वा बताया है जब कि नक्शा
अक्स में ख.न. 980 की आकृति के रकबे
का योग लगभग 26 बीघा ही है। ऐसी
स्थिति मे यह स्पष्ट हो जाता है कि
ख.न. 980 की आकृति के बगल में बायी
ओर जो बिना नम्बर की आकृति है
वह ख.न. 980 का ही भाग है और
से दोनो आकृतियो के मध्य मे लाइन
खिच गयी है जो गलत है। ऐसी स्थिति
मे हम तहसीलदार राजाखेडा के प्रार्थना
पत्र मे अंकित अभिलेख को सही
होना पाते है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार
किये जाने योग्य समझते है।
अतः आदेश है कि ग्राम नागर
तहसील राजाखेडा के नक्शा ट्रेस एवं
तरमीमीशीट मे ख.न. 980 के बगल में
बायी ओर बनी बिना नम्बर की आकृति
एवं ख.न. 980 की आकृति के मध्य में
खिची हुई लाइन हटाने के आदेश दिये
जाकर राजस्व रिकार्ड मे शुद्धि किये
जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की
प्रति तहसीलदार राजाखेडा को भेजी
जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर
एवं फेहरिस्त मुताबिक अंकन दाखिल
दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)